

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 1970/माघ 8, 1891

No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 1970/MAGHA 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

NOTIFICATION

New Delhi, 21st January, 1970

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

- I. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (2nd Amendment) Rules, 1970.
- (2) They shall come into force on the 1st day of February 1970.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (herein after referred to as the said rules) in rule 60-A, for the heading "II—For Delivery in Nepal", and the Table occurring thereunder, the following Heading and Table shall be substituted, namely :—

"II For Delivery in Nepal.

Class	For any number of words not exceeding eight, including the address	For each additional word after the first eight words.
	Rs. P.	Rs. P.
Express . . .	4.30	0.40
Ordinary . . .	2.15	0.20"

3. In rule 133 of the said rules, for the Heading "III—For delivery in Nepal", and the Table occurring thereunder, the following Heading and Table shall be substituted, namely :—

"III For delivery in Nepal

Class	For any number of words not exceeding 50, excluding the address	For each additional five words after the first fifty words.
	Rs. P.	Rs. P.
Express . . .	3.50	0.40
Ordinary . . .	1.75	0.20"

[No.2-25/68R]

C. A. CORNELIUS,

Senior Member (T. O.)

and Ex. officio Additional Secy.

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1970

सौ० का० नि० 158:—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम भारतीय तार (ii संशोधन) नियम, 1970 कहा जा सकेगा।

(ii) ये फरवरी, 1970 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 60-क में शीर्षक "2-नेपाल में परिदान के लिए" तथा उसके साथ की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"नेपाल में परिदान के लिये"

वर्ग	शब्दों की किसी संख्या के लिए जो पते सहित आठ से अधिक न हो	प्रथम आठ शब्दों के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए
------	--	--

	रु० पै०	रु० पै०
तुरन्त	4—30	0—40
साधारण	2—15	0—20

3. उक्त नियमों के नियम 133 में, शीर्षक "3-नेपाल में परिदान के लिए" तथा उसके साथ की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3-नेपाल में परिदान के लिए"

वर्ग	शब्दों की किसी संख्या के लिए जो पते को छोड़कर 50 से अधिक न हो	प्रथम पचास शब्दों के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पाँच शब्दों के लिये
------	---	--

	रु० पै०	रु० पै०
तुरन्त	3—50	0—40
साधारण	1—75	0—20

[सं० 2/25/68-आर]

सी० ए० कोरसैलियस,

वरिष्ठ सदस्य (घूर संचार-प्रचालन),

और पदेन अतिरिक्त सचिव।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....